अनुबंध II

परिभाषाएं

इन दिशानिर्देशों में जब तक प्रसंगवश अन्यथा अपेक्षित न हो तब तक:

(क) "बैंक" या "बैंकिंग कंपनी" का अर्थ है बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (1949 का 10) की धारा 5 के खंड (सी) में याथा परिभाषित बैंकिंग कंपनी या उसके खंड (डीए), खंड (एनसी) और खंड (एनडी) में क्रमश: याथा परिभाषित "तदनुरूपी नया बैंक", "भारतीय स्टेट बैंक" या "सहायक बैंक" जिसके अंतर्गत उक्त अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 5 के खंड (सीसीआई) में याथा परिपाभाषित "सहाकारी बैंक" भी शामिल है ।

(ख) "अनुसूचित बैंक" का तात्पर्य है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल बैंक ।

(ग) "अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं (एफआई)" का तात्पर्य हैं वे वित्तीय संस्थाएं जिन्हें भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सावधि धन, सावधि जमा राशियों, जमा प्रमाणपत्रों, वाणिज्यिक पत्र और अंतरकंपनी जमाराशियों, जो भी लागू हो, द्वारा समग्र सीमा के अंदर संसाधन जुटाने के लिए विशिष्टि रूप से अनुमति दी गई है ।

(घ) "प्राथमिक व्यापारी" से अभिप्रेत है ऐसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जो 29 मार्च 1995 के समय समय पर याथा संशोधित "सरकारी प्रतिभूति बज़ार में प्रथमिक व्यापारी संबंधी दिशानिर्देश" के अनुसार रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिक व्यापारी होने के संबंध में जारी वैध आधार पत्र का धारण करती हो ।

(ङ) "कापोरेट" या "कंपनी" का अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 I(एए) यथा परिभाषित कंपनी, मगर इसमें ऐसी कंपनी शामिल नहीं है जिसे वर्तमान में किसी कानून के अंतर्गत बंद किया जा रहा है ।

(च) "गैंर बैंकिंग कंपनी" का तात्पार्य है बैंकिंग कंपनी से इतर कंपनी ।

(छ) "गैंर बैंकिंग वित्तीय कंपनी" से अभिप्रेत है भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 45 I (एसफ) में यथा पारिभाषित कंपनी ।

(ज) "कार्यशील पूंजीगत सीमा" का तात्पर्य है कुल सीमाएं जिनमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक या अधिक बैंकों /एफआई द्वारा बिलों की खरीद / डिस्काउंट द्वारा प्राप्त राशियां शामिल हैं ।

(झ) "मूर्त निवल मालियत" से अभिप्रेत है कंपनी के अद्यतन लेखा परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार चुकता पूंजी सह मुक्त प्रारक्षित निधियां (शेयर प्रीमियम खाते में धारित शेष राशियां, पूंजी और डिबंजरों के मोचन से प्राप्त प्रारक्षित निधियां और ऐसी अन्य प्रारक्षित निधि शामिल हैं जिनका सृजन भविष्य में आनेवाली किसी देयता की चुकौती के लिए अथवा परिसंपत्तियां के मूल्यह्रास के लिए अथवा अशोध्य ऋण अथवा परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन द्वारा आरक्षित निधियों के लिए न किया

गया हो) जिसमें से हानि की संचित शेष राशि, आस्थागित राजस्व व्यय की शेष राशि तथा अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को घटाया गया हो ।

(ञ) इसमें प्रयुक्त लेकिन इसमें अपरिभाषित और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ वही होगा जो उक्त अधिनियम में दिया गया है ।